सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी सुश्री श्वेता कोचर, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
582/2017	दावा 88, 92A RTA	28.06.2017	16.03.2018

1. काशीराम
2. जयप्रकाश
3. राजबाला
4. कान्ता
5. सन्तोष

पुत्र–पुत्रियां स्व. रामकुमार जाति नाई निवासीगण ग्राम दूधवा खारा तहसील व जिला चूरू (राज.)

6. रेखा पुत्री सुमन पुत्री रामकुमार जाति नाई निवासिनी सूरतपुरा तहसील व जिला चूरू
7. प्रवीण
8. प्रदीप

पुत्रगण सुमन पुत्री रामकुमार जाति नाई निवासीगण सूरतपुरा तहसील राजगढ नाबालिग जरिए प्राकृतिक संरक्षक बहिन रेखा पुत्री सुमन जाति नाई निवासी सूरतपुरा राजगढ

–वादीगण–

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र सोहन जाति नाई निवासी ग्राम दूधवा खारा तहसील व जिला चूरू
2. छगनलाल पुत्र रामू जाति नाई निवासी ग्राम दूधवा खारा तहसील व जिला चूरू

–प्रतिवादीगण–

3. परमेश्वरी
4. माना

पुत्रियां रामकुमार जाति नाई निवासीगण दूधवा खारा तहसील व जिला चूरू

5. तहसीलदार महोदय, चूरू तहसील व जिला चूरू

–गौण प्रतिवादीगण–

दावा अन्तर्गत धारा 88, 92ए आर.टी.ए.

उपस्थित – 1. अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र बुडानिया वादीगण
2. अधिवक्ता श्री जगदीश सहारण प्रतिवादी सं. 1 व 2

निर्णय

वादीगण की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि वादीगण सं. 1 ता 5 स्व. बिजाराम पुत्र लेखूराम नाई नि. दूधवा खारा तहसील चूरू के पौत्रगण हैं तथा वादीगण सं. 6 ता 8 उनकी बहन सुमन के पुत्र–पुत्रियां हैं। प्रतिवादी सं. 1 बिजाराम के भाई सोहन का दत्तक पुत्र है व प्रतिवादी सं. 2 बिजाराम के भाई रामू का पुत्र है। प्रतिवादीगण सं. 3 व 4 वादीगण की बहिनें हैं जो कि पिछले काफी वर्षों से बम्बई व अन्य स्थानों पर रह रहे हैं जिनका वंशवृक्ष निम्न प्रकार है:–

स्व. लेखूराम नाई के तीन पुत्र बिजाराम, सोहन, रामू हुए जिनका स्वर्गवास हो चुका है। स्व. बिजाराम के एक पुत्र नारायण हुआ जो फौत हो चुका है। स्व. नारायण के एक पुत्र रामकुमार हुए जिनका स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिसान विद्या पत्नी (फौत), परमेश्वरी, राजबाला, कान्ता, माना, सुमन (फौत), सन्तोष, काशीराम, जयप्रकाश पुत्र–पुत्रियां हैं जिनमें से पुत्री सुमन (फौत) के वारिसान रेखा, प्रवीण व प्रदीप पुत्र–पुत्रियां हैं। स्व. लेखूराम के दूसरे पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

सोहन फौत हो चुके हैं जिनके जायज वारिसान में भंवरलाल है जो दत्तक पुत्र है। स्व. लेखूराम के तीसरे पुत्र रामू के दो पुत्र भंवरलाल व छगन हुए जिनमें से एक पुत्र भंवरलाल स्व. सोहन के गोद चला गया है। इस प्रकार स्व. रामकुमार के वारिसान वादी सं. 1 से 8 व प्रतिवादी सं. 3 व 4 हैं। स्व. सोहन के वारिस भंवरलाल दत्तक पुत्र हैं जो प्रतिवादी सं. 1 है तथा रामू के वारिस छगनलाल है जो प्रतिवादी सं. 2 है।

यह कि कृषि भूमि पुराना ख.नं. 139 मिन नया ख.नं. 463, पुराना ख.नं. 139 मिन नया ख.नं. 464, पुराना ख.नं. 139 नया ख.नं. 465 तादादी क्रमशः 23 बीघा 15 विश्वा, 18 बीघा 10 विश्वा, 26 बीघा 11 विश्वा रोही मौजा ढाणी रणवां जिला चूरू में से पहले 1/3 हिस्सा वादीगण सं. 1 ता 5 के पिता बिजाराम के पिता लेखू नाई दादा प्रतिवादीगण सं. 6 व 7 के नाना रामकुमार के दादा बिजाराम के पिता लेखू नाई व प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के दादा लेखू नाई एवं गौण प्रतिवादीगण सं. 3 व 4 के पिता रामकुमार के दादा बिजाराम के पिता लेखू नाई के नाम से उक्त खसरान की कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में काश्तकारी एवं खातेदारी अंकित चली आ रही थी और लेखू नाई का कब्जा व काश्त था। लेखू नाई के स्वर्गवास के पश्चात् उसके तीन वारिसान बीजाराम वादीगण सं. 1 ता 5 पड़दादा व वादीगण सं. 6 ता 8 के नाना रामकुमार के दादा व प्रतिवादी सं. 3 व 4 के पड़दादा के नाम एवं उसके दो भाई सोहन प्रतिवादी सं. 1 के पिता एवं रामू प्रतिवादी सं. 2 के पिता के नाम से खातेदारी काश्तकारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई और बीजाराम की खातेदारी कब्जा काश्त व स्वामित्व की भूमि रही है। बीजाराम के स्वर्गवास के पश्चात् रामकुमार वादीगण सं. 1 ता 5 के पिता व 6 ता 8 के नाना के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग स्वामित्व में चली आ रही है और उसी अनुसार वर्तमान में वादीगण सं. 1 ता 8 एवं प्रतिवादी सं. 3 व 4 के कब्जा स्वामित्व की भूमि है।

यह कि वादगत कृषि भूमियों में से 1/3 हिस्सा की भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण सं. 3 व 4, वादीगण सं. 1 ता 5 के पिता रामकुमार के दादा बीजाराम एवं वादीगण सं. 6 ता 8 के नाना रामकुमार के दादा बीजाराम के नाम से बतौर खातेदारी काबिज काश्तकार के चलती रही मगर अचानक बिना किसी कारण एवं आधार के गलत रूप से विधि विरूद्ध तरीके से राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने गलती से वादीगण सं. 1 ता 5 के पिता रामकुमार के दादा बीजाराम वादीगण सं. 6 ता 8 के नाना रामकुमार के दादा प्रतिवादीगण सं. 3 व 4 के पिता रामकुमार के दादा बीजाराम का नाम राजस्व रिकार्ड में गायब कर रिकार्ड से हटा दिया गया जो हर प्रकार से अवैध विधि विरूद्ध है व वादगत भूमि 1/2, 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के पिता के नाम दर्ज कर दी जो कि गलत है। यह कि वादगत कृषि भूमि में से 1/3 हिस्सा की भूमि के वादीगण 1 ता 8 एवं प्रतिवादीगण सं. 3 व 4 बतौर खातेदार काबिज काश्तकार हैं। उक्त 1/3 हिस्सा की भूमि के राजस्व रिकार्ड के बिना किसी कारण व आधार के वादीगण सं. 1 ता 5 के पिता रामकुमार के दादा बीजाराम वादीगण सं. 6 ता 8 के नाना के दादा प्रतिवादीगण सं. 3 व 4 के पिता के दादा का नाम राजस्व रिकार्ड से हटा दिया गया, इसलिए वादीगण की ओर से यह दावा वादगत कृषि भूमि में से 1/3 हिस्सा की घोषणा अपने नाम से करवाने के लिए यह दावा वादीगण द्वारा पेश किया जा रहा है। यह कि वादीगण ने प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 को कई बार कहा एवं दूसरों से भी कहलवाया कि वोह वादीगण के साथ चलकर वादगत कृषि भूमि में से 1/3 हिस्सा की भूमि वादीगण एवं गौण प्रतिवादीगण सं. 3 व 4 के नाम से करवायें तथा राजस्व रिकार्ड में वादीगण का बतौर खातेदार दर्ज करवायें। पहले तो प्रतिवादीगण सं. 1 व

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

2 हां, हूं करते रहे आखिर में दिनांक 154.05.17 को ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। वादीगण वादगत कृषि भूमि में बतौर खातेदार कब्जा काश्तकार होने से वादगत कृषि भूमि में से 1/3 हिस्सा के कानूनन हकदार होने से इस दावा के प्रति वादीगण को आधार प्राप्त है तथा प्रतिवादीगण द्वारा स्पष्ट रूप से की गई इन्कारी की तिथि से इस दावा के प्रति वादीगण को कारण प्राप्त है। यह कि वादगत कृषि भूमि में से 1/3 हिस्सा वादीगण सं. 1 ता 5 के पिता के दादा बीजाराम व वादीगण सं. 6 ता 8 के नाना रामकुमार के दादा बीजाराम एवं प्रतिवादीगण सं. 3 व 4 के पिता रामकुमार के दादा बीजाराम के जायज वारिसान होने से वादीगण का हक हिस्सा काननून निहित है।

यह कि वादगत कृषि भूमि के गौण प्रतिवादीगण सं. 3 व 4 दावा करने के समय उपलब्ध नहीं होने से उन्हें भी गौण प्रतिवादीगण सं. 3 व 4 बनाया गया है। वादगत कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी सं. 5 के पावर व पजेशन में है दावा वादीगण डिक्री होने की सूरत में मुताबिक डिक्री के राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम प्रतिवादी सं. 5 तहसीलदार चूरू के द्वारा किया जाना है। प्रतिवादी सं. 5 तहसीलदार साहब चूरू के विरूद्ध कोई नुकसानप्रद अनुतोष वादीगण के द्वारा नहीं चाहा गया है इस कारण से प्रतिवादी सं. 5 तहसीलदार चूरू को दावा करने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिये बिना दावा वादीगण प्रतिवादी सं. 5 को पक्षकार बतौर प्रतिवादी बनाते हुए पेश किया जा रहा है। यह कि वादगत कृषि भूमि श्रीमान् जी के अधिकार क्षेत्र में स्थित है। पक्षकारान वाद श्रीमान् जी के अधिकार क्षेत्र के निवासीगण हैं। इस कारण से इस दावा के प्रति श्रीमान् जी को हर प्रकार से श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार हासिल है। दावा वादीगण उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद पेश है।

अतः दावा वादीगण पेश कर निवेदन है कि दावा वादीगण बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावेः–

(क) घोषणा इस आशय की की जावे कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 463, 464, 465 तादादी कमशः 23 बीघा 15 विश्वा, 18 बीघा 10 विश्वा, 26 बीघा 11 विश्वा कुल किता तीन कुल तादादी 68 बीघा 16 विश्वा रोही मौजा ढाणी रणवां तहसील चूरू में से 1/3 हिस्सा के वादीगण व गौण प्रतिवादीगण सं. 3 व 4 खातेदार काबिज काश्तकार हैं।

(ख) राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करते हुए ख.नं. 463, 464, 465 तादादी कमशः 23 बीघा 15 विश्वा, 18 बीघा 10 विश्वा, 26 बीघा 11 विश्वा कुल किता तीन कुल तादादी 68 बीघा 16 विश्वा रोही मौजा ढाणी रणवां तहसील चूरू में प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के साथ वादीगण व गौण प्रतिवादीगण सं. 3 व 4 का नाम 1/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर बराबर अंकित किया जावे।

(ग) खर्चा दावा वादीगण को प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 से दिलवाया जावे।

(घ) अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादीगण व गौण प्रतिवादीगण सं. 3 व 4 हो या दौराने सुनवाई वाद हो जावे, प्रदान किया जावे।

वादीगण की ओर से पेश दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 स्वयं उपस्थित हुए एवं विधिवत तामील के बावजूद भी प्रतिवादी सं. 3 व 4 के उपस्थित नहीं आने पर उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली जवाबदावा में लम्बित रही। दिनांक 09.01.18 को प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से श्री जगदीश सहारण

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

एडवोकेट ने उपस्थित होकर वकालतनामा एवं इकबालदावा पेश किया जिसकी प्रति वकील वादी को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत इकबालदावा में अंकित किया कि दावा की मद सं. 1 से 8 तक सही अंकित किये जाने के कारण स्वीकार की जाती हैं। इकबालदावा के विशेष कथन में अंकित किया कि दावा में चाहा गया अनुतोष वादीगण को प्रदान किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है, ना ही हम भवष्यि में कोई आपत्ति करेंगे। अतः इकबालदावा पेश कर निवेदन है कि वादीगण का दावा डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी सं. 1 ता 2 को कोई आपत्ति नहीं है, ना ही प्रतिवादी सं. 1 ता 2 भविष्य में आपत्ति करेंगे।

दावा के मुख्य प्रतिवादीगण की ओर से इकबालदावा पेश होने से तनकियात कायम करने की कोई आवश्यकता नहीं होने से पत्रावली साक्ष्यवादी में रखी गई। साक्ष्यवादी में गवाह काशीराम व जयप्रकाश ने उपस्थित होकर बयान शपथ पत्र पेश किये। गवाहान के बयान लेखबद्ध किये गये। गवाहान से जिरह वकील प्रतिवादी द्वारा की गई। वादी की साक्ष्य बन्द की गई। वकील प्रतिवादी ने अंकित किया कि हम साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं करना चाहते जिस पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

नियत दिनांक को वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने अपनी बहस में दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 463, 464, 465 कुल तादादी 68 बीघा 16 विश्वा रोही ग्राम ढाणी रणवां जिसके पुराना ख.नं. 139 तादादी 68 बीघा 16 विश्वा हैं, जो कि स्व. लेखूराम की पैतृक की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि रही है। स्व. लेखूराम के फौत होने पर उक्त कृषि भूमि लेखुराम के वारिसान बीजाराम, सोहन व रामू के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज हुई। जमाबन्दी सम्वत् 2002 में बीजाराम, सोहन व रामू तीनों के नाम बहिस्सा बराबर में दर्ज रिकार्ड हैं परन्तु बाद में राजस्व कर्मचारियों की गलती से उक्त कृषि भूमि से बीजाराम का नाम बिना किसी कारण के हटा कर केवल सोहन व रामू के नाम अंकित कर दिये गये जो कि वास्तविकता के विपरीत एवं विधि विरूद्ध है। वर्तमान में उक्त तीनों व्यक्ति फौत हो चुके हैं। स्व. बीजाराम के एक पुत्र नारायण हुए जो फौत हो चुके हैं। नारायण के एक पुत्र रामकुमार हुए जिनका भी स्वर्गवास हो चुका है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 3 व 4 इन्हीं स्व. रामकुमार के वारिसान हैं। स्व. सोहन के कोई वारिस नहीं होने से उन्होंने अपने भाई रामू के पुत्र भंवरलाल को गोद ले लिया जो कि दावा में प्रतिवादी सं. 1 है। स्व. रामू के वारिसान दो पुत्र भंवरलाल व छगनलाल हुए जिनमें से भंवरलाल स्व. सोहन के गोद चला गया एवं छगनलाल स्व. रामू का पुत्र मौजूद है जो दावा में प्रतिवादी सं. 2 है। उक्त वादगत कृषि भूमि वादीगण के परदादा की पैतृक खातेदारी व पूर्वजों के समय से ही संयुक्त कब्जा काश्त की भूमि चली आ रही है तथा पैतृक हक अधिकार से वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 3 व 4 इस कृषि भूमि में 1/3 हिस्से के हकदार हैं तथा अपने नाम से खातेदारी की घोषणा करवा कर 1/3 हिस्से की खातेदारी अपने नाम से दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। दावा के मुख्य प्रतिवादीगण ने अपने इकबालदावा के माध्यम से स्वयं उपस्थित होकर दावा वादीगण स्वीकार किया है तथा दावा वादी स्वीकार किया जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है एवं ना ही वे भविष्य में कोई आपत्ति करेंगे। अतः दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे। वकील प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने अपनी संक्षिप्त बहस में जाहिर किया कि हम प्रतिवादीगण अपना इकबालदावा पेश कर चुके

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

हैं। वादीगण व प्रतिवादी सं. 3 व 4 वादगत कृषि भूमि में 1/3 हिस्सा की खातेदारी अपने नाम से घोषित करवाने के हकदार हैं। यदि वादीगण का दावा स्वीकार कर डिक्री किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है तथा ना ही हम भविष्य में कोई आपत्ति करेंगे।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली एवं पेश इकबालदावा व दस्तोवजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया गया। वादी द्वारा पेश दस्तावेज प्रदर्श–2 जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 ग्राम ढाणी रणवां के ख.नं. 463, 464, 465 कुल तादादी 68.16 बीघा में वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 भंवरलाल व प्रतिवादी सं. 2 छगनलाल 1/2, 1/2 हिस्से के खातेदार अंकित हैं जिसमें से 1/3 हिस्से की खातेदारी वादीगण घोषित करवाना चाहते हैं। प्रदर्श–3 मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2028 के अनुसार वादगत ख.नं. 463, 464, 465 पुराना ख.नं. 139 से बनना प्रमाणित होता है। प्रदर्श–4 जमाबन्दी सम्वत् 2031 में सोहन व रामू पि. लेखू खातेदार दर्ज हैं। प्रदर्श–5 जमाबन्दी सम्वत् 2035 में भंवरलाल पि.खो. सोहन 1/2 हि. व रामू पुत्र लेखू 1/2 हि. खातेदार दर्ज हैं। प्रदर्श–6 जमाबन्दी सम्वत् 2013 से 2016 में पुराना ख.नं. 139 में सोहन व रामू खातेदार अंकित हैं। प्रदर्श–7 नामान्तरकरण सं. 207 है जिसमें सोहन के फौत होने पर उसके हिस्से में भंवरलाल का नाम दर्ज हुआ है। प्रदर्श–8 नामान्तरकरण सं. 44 दिनांक 12.11.57 है जिसमें उक्त वादगत कृषि भूमि बीजा सोवन रामू पि. लेखू के नाम बहिस्सा बराबर में नाम दर्ज हुए हैं। प्रदर्श–9 जमाबन्दी सम्वत् 2002 में भी पुराना ख.नं. 139 में बीजा सोहन व रामू पि. लेखू के नाम अंकित हैं। प्रदर्श–10 में प्रतिवादी सं. 1 व 2 खातेदार दर्ज हैं। प्रदर्श–11 में सोहन व रामू का नाम अंकित है। प्रदर्श–12 व 13 में भी उक्तानुसार ही नाम दर्ज हैं। प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने अपने इकबालदावा में दावा वादीगण स्वीकार करते हुए वर्तमान में एवं भविष्य में भी कोई आपत्ति नहीं होने का तथ्य अंकित किया है। साक्ष्यवादी में गवाह काशीराम ने अपने साक्ष्य जो प्रदर्श–1 है, के जरिये पेश दस्तावेजात को प्रमाणित कराया है जिनसे वकील प्रतिवादी द्वारा कोई जिरह नहीं की गई है जिससे उसके बयान प्रमाणित होते हैं। दावा के विरोध में प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किये गये हैं तथा ना ही बहस में कोई कथन किया है।

पत्रावली एवं पेश दस्तोवजात के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 463, 464, 465 जिसके पुराना ख.नं. 139 तादादी 68.16 बीघा रोही ग्राम ढाणी रणवां वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजों की पैतृक सह खातेदारी व संयुक्त कब्जा काश्त की रही है जिसमें कालान्तर में वादीगण के परदादा बीजाराम का नाम हटाकर केवल बीजाराम के भाई सोहन व रामू के बहिस्सा बराबर अंकित कर दिये गये। उक्त त्रुटि सहवन से हुई प्रतीत होती है क्योंकि प्रदर्श–8 व प्रदर्श–9 से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि सम्वत् 2002 में पुराना ख.नं. 139 तादादी 68.16 बीघा में बीजाराम, सोहन व रामू पि. लेखू बराबर–बराबर हिस्सा के खातेदार अंकित थे परन्तु बाद में बीजाराम का नाम हट गया एवं केवल सोहन व रामू के नाम ही राजस्व रिकार्ड में अंकित हो गये। सोहन व रामू के फौत हो जाने से उनका हिस्सा उनके पुत्र भंवरलाल व छगनलाल प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम यह भूमि अंकित हो गई जो आज भी चली आ रही है। उक्त वादगत कृषि भूमि में वादीगण के पूर्वज बीजाराम का भी 1/3 हिस्सा खातेदारी व कब्जा काश्त का रहा है एवं वर्तमान में 1/3 हिस्सा भूमि पर कब्जा काश्त भी वादीगण व प्रतिवादी सं. 3 व 4 का आज तक चला आ रहा है। इसलिए नियमानुसार वादीगण व प्रतिवादी सं. 3 व 4 वादगत कृषि भूमि में 1/3 हिस्से के पूर्व खातेदार बीजाराम के जायज वारिसान व उत्तराधिकारी होने एवं काबिज काश्तकार होने से उक्त 1/3 हिस्से की खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी

अपने नाम से घोषित करवाने के अधिकारी हैं। वादगत कृषि भूमि में 1/2, 1/2 हिस्से के खातेदार प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने अपने इकबालदावा से दावा वादीगण पर कोई आपत्ति नहीं की है तथा ना ही विरोध में कोई साक्ष्य पेश किया है बल्कि उनके द्वारा दावा के समस्त मदों को स्वीकार किया गया है जिससे दावा वादीगण प्रमाणित होता है।

उपरोक्त विस्तृत विवेचना के आधार पर दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 463, 464, 465 तादादी क्रमशः 23.15, 18.10, 26.11 कुल तादादी 68 बीघा 16 विश्वा रोही ग्राम ढाणी रणवां तहसील चूरू में वादी सं. 1 से 5 व गौण प्रतिवादी सं. 3 व 4 प्रत्येक को 1/24, 1/24 हिस्सा एवं वादी सं. 6 से 8 को 1/24 हिस्सा ब. हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार, चूरू को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादगत कृषि भूमि के राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी सं. 1 व 2 को 1/3, 1/3 हिस्सा, वादी सं. 1 से 5 व गौण प्रतिवादी सं. 3 व 4 प्रत्येक को 1/24, 1/24 हिस्सा एवं वादी सं. 6 से 8 को 1/24 हिस्सा ब.हि.ब. खातेदार अंकित किया जावे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उपखण्ड अधिकारी चूरू

उपखण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाबता दिवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

इजलास : सुश्री श्वेता कोचर आर0ए0एस0

1. काशीराम
2. जयप्रकाश
3. राजबाला
4. कान्ता
5. सन्तोष

} पुत्र–पुत्रियां स्व. रामकुमार जाति नाई निवासीगण ग्राम दूधवा खारा तहसील व जिला चूरू (राज.)

6. रेखा पुत्री सुमन पुत्री रामकुमार जाति नाई निवासिनी सूरतपुरा तहसील व जिला चूरू
7. प्रवीण
8. प्रदीप

} पुत्रगण सुमन पुत्री रामकुमार जाति नाई निवासीगण सूरतपुरा तहसील राजगढ नाबालिग जरिए प्राकृतिक संरक्षक बहिन रेखा पुत्री सुमन जाति नाई निवासी सूरतपुरा राजगढ

–वादीगण–

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र सोहन जाति नाई निवासी ग्राम दूधवा खारा तहसील व जिला चूरू
2. छगनलाल पुत्र रामू जाति नाई निवासी ग्राम दूधवा खारा तहसील व जिला चूरू

–प्रतिवादीगण–

3. परमेश्वरी
4. माना

} पुत्रियां रामकुमार जाति नाई निवासीगण दूधवा खारा तहसील व जिला चूरू

5. तहसीलदार महोदय, चूरू तहसील व जिला चूरू

–गौण प्रतिवादीगण–

दावा अन्तर्गत धारा 88, 92ए आर.टी.ए.
मुकदमा नं. 582 सन् 2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री सुरेन्द्र बुडानिया एडवोकेट वादीगण, मिनजानिब मुदईब श्री जगदीश सहारण एडवोकेट प्रतिवादी सं. 1 व 2 मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 463, 464, 465 तादादी कमशः 23.15, 18.10, 26.11 कुल तादादी 68 बीघा 16 विश्वा रोही ग्राम ढाणी रणवां तहसील चूरू में वादी सं. 1 से 5 व गौण प्रतिवादी सं. 3 व 4 प्रत्येक को 1/24, 1/24 हिस्सा एवं वादी सं. 6 से 8 को 1/24 हिस्सा ब.हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार, चूरू को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादगत कृषि भूमि के राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी सं. 1 व 2 को 1/3,

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

1/3 हिस्सा, वादी सं. 1 से 5 व गौण प्रतिवादी सं. 3 व 4 प्रत्येक को 1/24, 1/24 हिस्सा एवं वादी सं. 6 से 8 को 1/24 हिस्सा ब.हि.ब. खातेदार अंकित किया जावे।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 16 माह मार्च सन् 2018 को जारी की गई।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू